भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2007

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ऋतुस्त्राव स्वच्छता योजना

2007. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में 0-49 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के बीच ऋतुस्त्राव स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ' ऋतुस्त्राव स्वच्छता योजना' (एमएचएस) लागू कर रही है, यदि हां, तो उसके प्रमुख उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान ऋतुस्त्राव स्वच्छता योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान ऋतुस्त्राव स्वच्छता योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी निधि दी गई हैं; और

(घ) योजना के अंतर्गत मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की क्या भूमिका है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी हाँ, श्रीमान सरकार 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 'मासिक धर्म स्वच्छता योजना' (एमएचएस) लागू कर रही है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
2. किशोरियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन तक पहुँच और उनके उपयोग में सुधार करना।
3. पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान के बारे में जागरूकता पैदा करना।

पिछले पांच वर्षों के दौरान मासिक धर्म स्वच्छता के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार विवरण अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान मासिक धर्म स्वच्छता योजना के अंतर्गत प्रदान की गई कुल धनराशि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुलग्नक 2 में दी गई है।

(घ): आशा कार्यकर्ता इस योजना के प्रचार-प्रसार में शामिल हैं। वे रियायती दर पर सैनिटरी नैपकिन पैक वितरित करने और अपने क्षेत्र की किशोरियों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सहित विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

दिनांक 02.08.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2007 के उत्तर के भाग (क) और (ख) से संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

उन किशोरियों (10-19 वर्ष) की कुल संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण जिन्हें मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत स्वच्छता नैपकिन प्रदान की गई						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21	0	0	78	10
2	आंध्र प्रदेश	132535	878475	11680448	1232653	1154783
3	अरुणाचल प्रदेश	14	0	0	25	785
4	असम	232755	20465	29867	249	85091
5	बिहार	10242	152	0	0	1202
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	8333
7	छत्तीसगढ़	0	148	0	3	3988
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीव	184719	0	4920	0	4110
9	दिल्ली	260526	1067	0	2901	3521
10	गोवा	0	0	0	0	1348
11	गुजरात	37946	23048	96685	259553	80612
12	हरियाणा	0	234548	1388757	62005	34680
13	हिमाचल प्रदेश	1171903	2968367	1508814	53497	86179
14	जम्मू और कश्मीर	132793	353858	206740	100421	17761
15	झारखंड	4021	395291	170303	8122	1018
16	कर्नाटक	5675344	1282629	245739	26567	683
17	केरल	24054	640	323	990	7074
18	लद्दाख	0	0	0	15876	11967
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1492
20	मध्य प्रदेश	106129	172075	21501	7110	10198

21	महाराष्ट्र	2808112	2889292	1025417	84264	86761
22	मणिपुर	0	0	1772	8312	4274
23	मेघालय	0	0	20	0	126
24	मिजोरम	470	0	854	112	1422
25	नागालैंड	215	0	600	885	905
26	ओडिशा	7644152	5844591	5827548	318800	399579
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	24
28	पंजाब	1629739	373245	158558	514	168
29	राजस्थान	9527	2186	314	0	103029
30	सिक्किम	0	0	2	4	579
31	तमिलनाडु	15205511	13436774	14878335	1921689	741292
32	तेलंगाना	3860	0	113	24	464
33	त्रिपुरा	43935	2637	287131	63780	1533
34	उत्तर प्रदेश	1856623	237964	567516	82212	40555
35	उत्तराखंड	160949	31539	473320	20720	10989
36	पश्चिम बंगाल	2553337	3628466	3329204	240175	945377

*इसमें उन किशोरियों की संख्या शामिल है जिन्हें एचएमआईएस रिकॉर्ड के अनुसार एनएचएम और अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं से सैनिटरी नैपकिन प्रदान की गयी है।

दिनांक 02.08.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2007 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक 2

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन का विवरण

क्र.सं.	राज्य	2019-20 एसपीआईपी अनुमोदन	2020-21 एसपीआईपी अनुमोदन	2021-22 एसपीआईपी अनुमोदन	2022-23 एसपीआईपी अनुमोदन	2023-24 एसपीआईपी अनुमोदन
1	अंडमान निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	589.35	2977.47	2,009.08	2,009.08
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	288.62	165.34	601.80	274.01	274.01
5	बिहार	957.60	789.64	0.00	106.50	0.00
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	303.48	0.00	0.00
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीव	0.00	0.00	5.04	1.00	1.00
9	दिल्ली	97.96	182.40	188.20	348.27	331.08
10	गोवा	0.00	0.00	15.30	6.03	6.29
11	गुजरात	0.00	0.00	327.37	50.00	50.00
12	हरियाणा	0.00	0.00	297.60	0.00	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	385.17	98.00	99.45	100.00	100.00
14	जम्मू कश्मीर	102.72	443.44	123.47	463.71	628.71
15	झारखंड	0.00	0.00	702.37	0.00	0.00
16	कर्नाटक	0.00	0.00	370.39	20.16	0.00
17	केरल	119.70	119.70	230.33	195.26	119.70
18	लद्दाख	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00
19	लक्षद्वीप	0.00	7.71	10.42	8.63	9.10
20	मध्य प्रदेश	107.25	0.00	969.44	91.40	115.00

21	महाराष्ट्र	100.00	943.97	0.00	2,092.03	2,411.29
22	मणिपुर	116.20	114.04	116.24	116.78	114.82
23	मेघालय	0.00	0.00	62.92	2.00	
24	मिजोरम	0.00	0.00	92.64	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	5.69	27.48	22.19	55.28
26	उड़ीसा	382.23	375.41	1919.83	791.67	791.67
27	पुडुचेरी	36.00	36.00	51.83	36.00	36.00
28	पंजाब	0.00	139.65	1218.21	1,181.65	1,181.65
29	राजस्थान	3000.00	1500.00	2082.35	0.00	0.00
30	सिक्किम	0.00	0.00	4.51	40.10	40.10
31	तमिलनाडु	0.00	0.00	186.00	4,588.50	4,588.50
32	तेलंगाना	0.00	0.00	463.24	3,032.17	1,859.46
33	त्रिपुरा	0.00	56.00	99.15	112.72	137.45
34	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	5226.92	0.00	0.00
35	उत्तराखंड	134.06	261.57	152.93	147.65	4.00
36	पश्चिम बंगाल	756.65	568.91	1660.68	3,892.51	7,694.88

- **एसपीआईपी अनुमोदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रवंधन रिपोर्टों के अनुसार है और यह अनन्तिम है।**
- **वर्ष 2021-22 में मासिक धर्म स्वच्छता के लिए अलग से कैप्चर नहीं किया गया था इसलिए किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए औषधियों की खरीद और आपूर्ति के अंतर्गत एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय प्रदान किया गया था।**
- **जम्मू और कश्मीर राज्य (जे एंड के) के जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठन के पश्चात लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को एनएचएम निधियां 2020-21 में पहली बार संवितरित की गई थी।**

*****